संविधान, सेक्युलरिज़्म और कन्वर्ज़न

डॉ. सतीश चन्द्र मित्तल

॥ नामूलं लिख्यते किंचित् ॥

प्रकाशन-विभाग
अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना
नयी दिल्ली-110 055

संविधान, सेक्युलरिज़्म और कन्वर्ज़न

by Dr. Satish Chandra Mittal

Published by:

॥ नामूलं लिख्यते भिषेक् ॥

PUBLICATIONS DEPARTMENT
Akhila Bhāratīya Itihāsa Saṅkalana Yojanā
Baba Sahib Apte Smriti Bhawan, 'Keshav Kunj',
Jhandewalan, New Delhi-110 055
Ph.: 011-23675667
e-mail : abisy84@gmail.com
Visit us at : www.itihassankalan.org, www.abisy.org

© Copyright : ABISY
All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the Publisher.

First Edition : Kaliyugābda 5117, i.e. 2016 CE

ISBN : 978-93-82424-26-0

Price : ₹ 50/-

Typesetting & Cover Design by:
Gunjan Aggrawala

Printed at:
Printech International, B-14, DSIDC Complex,
Jhilmil Industrial Area, Delhi-110095
Mob.: 09582225848, 09811025848

संविधान, सेक्युलरिज़्म और कन्वर्ज़न

विश्व के प्रत्येक संविधान के बारे में दो महत्त्वपूर्ण बातें जानना आवश्यक है। प्रथम, वह उस देश की आत्मा होता है। वह वहाँ की लोक चेतना का प्रतिबिम्ब, सामाजिक चेतना का स्वर, सांस्कृतिक उपलब्धियों का चित्र तथा नैतिक उन्नति का परिचायक होता है। वह उस समाज की जनभावनाओं की समस्याओं तथा आकांक्षाओं का प्रतीक होता है। दूसरे, संविधान अपने आपमें कोई साध्य नहीं, बल्कि साधनमात्र होता है। मूलत संविधान समाज के लिए होता है न कि समाज संविधान के लिए। विश्व के अनेक देशों में समय-समय पर संविधानों में अनेक संशोधन, आमूल-चूल परिवर्तन तथा समाजोपयोगी न रहने पर नवीन संविधान की रचना हुई है।[1]

भारतीय संविधान की रचना

महात्मा गाँधी का कथन है कि संविधान की विशेषता इस तथ्य में है कि देश का प्रत्येक नागरिक स्त्री-पुरुष, युवा-वृद्ध इससे भली-भाँति परिचित हो तथा प्रत्येक उसमें अपनी भागीदारी का अनुभव करता हो। सीधा-सा विचारणीय बिन्दु है कि 26 जनवरी, 1950 से

1. देवेन्द्र स्वरूप, 'भटकाव की जड़ें संविधान में ही हैं', *पाञ्चजन्य*, 17 अगस्त, 2005, पृ० 6-12

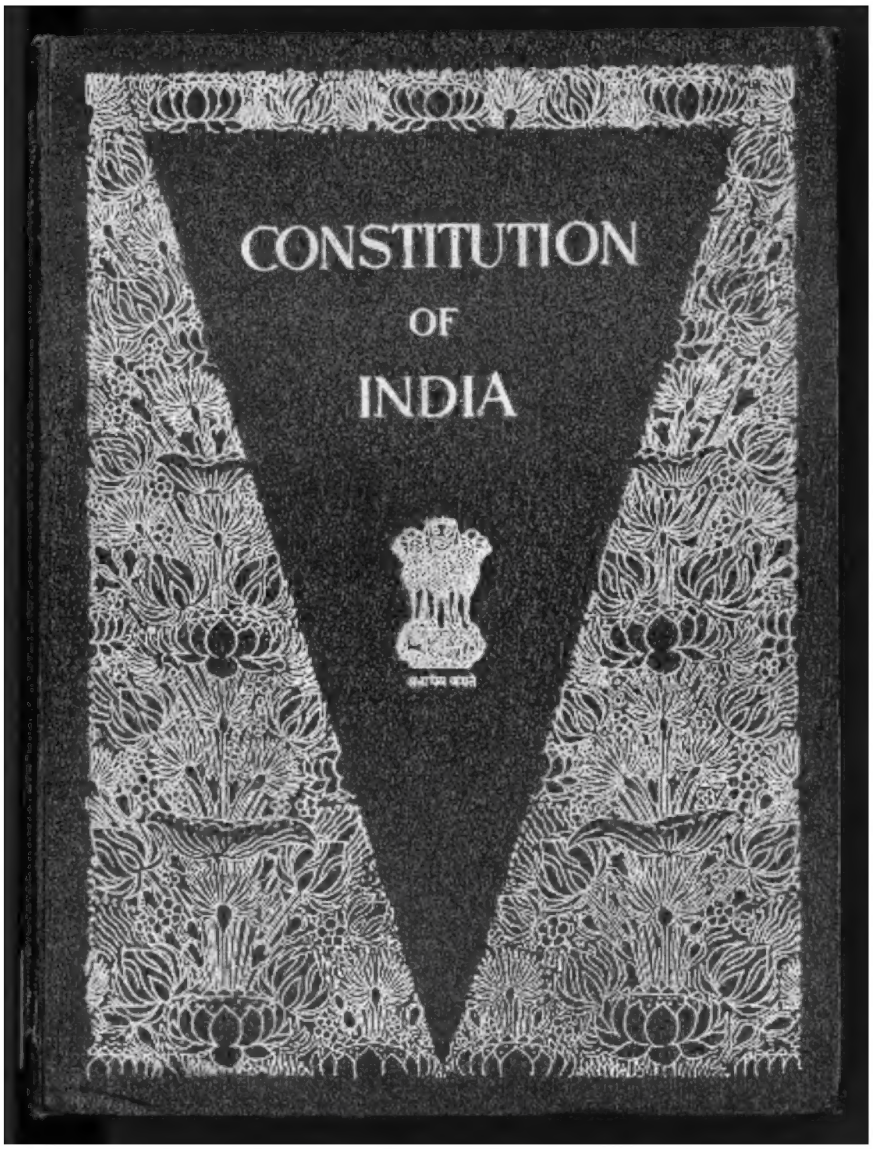

26 जनवरी, 1950 को लागू भारतीय संविधान की मूल प्रति,
जिसका डिज़ाइन प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा
ने तैयार किया था।

विभाजन के दिनों में जनसंख्या की अदला–बदली

विभाजन की त्रासदी

लागू होने के बाद वर्तमान तक भारतीय जनमानस अपने संविधान के प्रति उदासीन क्यों है? ग्राम, कस्बे, नगर तथा महानगर में रहनेवाले नागरिक उससे अपरिचित क्यों हैं? यह केवल कोर्ट-कचहरी तथा अदालती मुक़दमों की चारदीवारी तक की कार्यवाहियों तक सीमित क्यों है? एक विद्वान् ने इस सन्दर्भ में लिखा कि इतिहास केवल लिखा ही नहीं जाना चाहिए बल्कि इसे अनवरत बताया भी जाना चाहिये।[2] भारतीय संविधान की जानकारी क्यों यह विशिष्ट संभ्रात वर्ग तक सीमित है ? यह जानकारी खेत-खलिहानों के किसानों, मिल के मज़दूरों, सामान्य दुकानदारों तथा नौकरी करनेवाले कर्मचारियों को क्यों नहीं होनी चाहिये?

अल्प जन-प्रतिनिधित्व पर आधारित

यह सर्वविदित है कि भारतीय संविधान, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, बहुत जल्दी में तैयार किया गया था। यह केवल समूचे देश की 30 करोड़ आबादी के कुल तेरह प्रतिशत मताधिकार का प्रतिनिधित्व करता है, और वह भी जो 1937 के चुनाव के आधार पर अप्रत्यक्ष वोटों के आनुपातिक ढंग से चुनकर आए थे। नये चुनाव के लिए पं० जवाहरलाल नेहरू भी पक्ष में न थे। बाद में इसमें कुछ और निर्वाचित सदस्यों को जोड़ा गया। इसमें वे लोग भी थे जो पहले द्विराष्ट्रवाद या पाकिस्तान-निर्माण के पोषक थे। संविधान सभा में इनके व्यवहार के प्रति कई बार शंकाएँ भी जताई गई थीं।[3]

परिस्थितियों की उपज

यद्यपि भारतीय संविधान बनाने की प्रक्रिया 1940 से ही शुरू हो गई थी। परन्तु औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा की स्थापना ब्रिटिश कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 16 मई, 1946 को की गई थी।[4] भारत का संविधान उन भयंकर तथा गम्भीर परिस्थितियों में निर्मित हुआ जब देश के विभाजन का स्वरूप भी स्पष्ट न था तथा विश्व के इतिहास में सर्वाधिक एक करोड़ की जनसंख्या से अधिक की अदला-बदली को केवल तीन मास का समय दिया गया था जिसमें दोनों ओर से लगभग दस लाख लोग मारे गए थे, लगभग एक

---

2. स्वप्नदास गुप्ता, 'दो शब्दों का विवाद', *दैनिक जागरण*, 01 फरवरी, 2015
3. कॉंस्टीट्यूशनल एसेम्बली डिबेट (आगे सी०ए०डी०) भाग 4, पृ० 542, देखें 14 जुलाई, 1947 की कार्यवाही में श्री बालकृष्ण शर्मा का वक्तव्य; श्री बी०आर० अहलूवालिया के विचार, भाग 7, 04 नवम्बर, 1948, पृ० 39
4. कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा तथा लॉर्ड वेवेल की घोषणा के लिये देखें : मेन्सर एवं निकोलसन (सं०) कॉंस्टीट्यूशनल रिलेशन्स बिटविन ब्रिटेन एण्ड इण्डिया : द ट्रास्फर ऑफ़ पावर 1942-1947, भाग 7 (नयी दिल्ली, 1978), डॉक्यूमेंट नं० 305, पृ० 582-91; वाल्मीकि चौधरी (सं०) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद पेपर्स, भाग 4

लाख महिलाओं का अपहरण हुआ था तथा करोड़ों-अरबों की सम्पत्ति विनष्ट हुई थी।[5] भारतीय संविधान गम्भीर चर्चाओं तथा राष्ट्रीय बहस का परिणाम न था। इस संविधान के बनाने में कुल 165 बैठकें हुई थीं जिसमें 114 बैठकें संविधान के अंतर्गत विभिन्न समितियों के गठन तथा उनके द्वारा मसौदा तैयार करने में हुई थी। केवल 51 बैठकें अर्थात् केवल दो महीने से कम समय में इस पर बहस हुई। मोटे रूप से यह हड़बड़ी में बना संविधान है। इस संविधान के निर्माण में लगभग तीन वर्षों में (09 दिसम्बर, 1946 से 26 नवम्बर 1949) 165 दिनों में ग्यारह अधिवेशनों में कार्य हुआ। इन अधिवेशनों में 7,635 संशोधन प्रस्तुत किये गये जिसमें केवल 2,473 संशोधनों पर चर्चा हुई।[6] मूल सविधान में 395 अनुच्छेद 22 विभाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। यह समस्त कार्यवाही 6,440 पृष्ठों में प्रकाशित हुई तथा इस पर कुल व्यय 63,96,729 रुपये हुआ। इस संविधान में 90,000 शब्द है। बी०डी० बसु ने इसे विश्व का सबसे विस्तृत तथा प्रसिद्ध संविधानशास्त्री प्रो० एम०वी० पायली ने इसे 'हाथी जैसा भारी-भरकम' बतलाया है।

संविधान के मुख्य निर्माता

यह उल्लेखनीय है कि भारत के प्रधानमंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू प्रारम्भ में भारतीय संविधान बनाने के महत्त्वपूर्ण कार्य को ब्रिटेन के सुप्रसिद्ध संविधानशास्त्री सर विलियम आइवर जेनिंग्स (Sir William Ivor Jennings : 1903-1965) को सौंपना चाहते थे।[7] संविधान के सन्दर्भ में पं० नेहरू का महात्मा गाँधी से भी ज़रा भी तालमेल न था। भारतीय संविधान किसी भी अर्थ में गाँधीवादी नहीं है। वह न ही यह गाँधी जी के *हिंद स्वराज्य*[8] के अनुरूप है जो संसदीय प्रजातंत्र को अभारतीय तथा अमनोवैज्ञानिक मानते हैं। इस सन्दर्भ में परस्पर विरोधी गाँधी-नेहरू पत्र-व्यवहार उपलब्ध है। यह संविधान गाँधी जी द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रारूप के भी अनुकूल नहीं है, जो उन्होंने अपनी मृत्यु से तीन दिन पहले तैयार किया था[9] जिसमें उन्होंने काँग्रेस का विघटन करके ग्राम-पंचायतों के आधार पर राष्ट्र-निर्माण का स्वरूप रखा था। यह संविधान उनकी ग्राम स्वराज्य का परिकल्पना के अनुसार किञ्चित्मात्र भी नहीं है।[10]

---

5. सतीश चन्द्र मित्तल, 'पंजाबी विस्थापितों का हरियाणा में आगमन', *हरियाणा एनसाइक्लोपीडिया*, इतिहास खण्ड, भाग 2 (नयी दिल्ली, 2010), पृ० 493
6. सी०ए०डी०, भाग 11, पृ० 987, विस्तार के लिए देखें सतीश चन्द्र मित्तल, भारतीय संविधान की प्रासंगिकता एवं अपेक्षित परिवर्तन', *इतिहास दर्पण*, अंक भाग XIX, नयी दिल्ली, 2014
7. दत्तोपंत ठेंगड़ी, डॉ० अम्बेडकर और सामाजिक क्रान्ति की यात्रा (मई, 2006) पृ० 55
8. विस्तार के लिए देखें, मोहनदास करमचन्द गाँधी, *हिंद स्वराज* (मूल रूप से 1909 में प्रकाशित)
9. देखें *हरिजन*, 15 फरवरी, 1948
10. सतीश चन्द्र मित्तल, 'जहाँ के तहाँ हैं गाँव और गाँववासी', *पाञ्चजन्य*, 23 जून, 2013

दिनांक 09 दिसम्बर, 1946, संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष नयी दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक का दृश्य। डॉ. सच्चिदानन्द सिन्हा प्रथम अध्यक्ष मनोनीत हुए। सभा में 9 महिला सदस्यों सहित कुल 207 सदस्य उपस्थित थे।

दिनांक 08 फरवरी, 1947 : संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र गणराज्य के लिए संकल्प लेते हुए।

चित्र–सौजन्य : Picture Post – 4325 – India : The Last Chance – pub. 1947 (Photo by Bert Hardy/Picture Post/Getty Images)

दिनांक 08 फरवरी, 1947 : काउंसिल हाउस लायब्रेरी, नयी दिल्ली में संविधान सभा के प्रतिनिधियों की बैठक; चित्र–सौजन्य : Picture Post – 4325 – India The Last Chance – pub. 1947 (Photo by Bert Hardy/Picture Post/Getty Images)

दिनांक 08 फरवरी, 1947 : काउंसिल हाउस लायब्रेरी, नयी दिल्ली में संविधान सभा के प्रतिनिधियों की बैठक; (आगे की पंक्ति में बायें से प्रथम) चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य (अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री) एवं (अन्तिम से दूसरे) टी. प्रकाशम् (मद्रास प्रीमियर); चित्र–सौजन्य : Picture Post – 4325 – India: The Last Chance – pub. 1947 (Photo by Bert Hardy/Picture Post/Getty Images)

यह भी कटु सत्य है कि भारतीय संविधान भारत रत्न डॉ० भीमराव अम्बेडकर के उद्धारक प्रजातन्त्र के सिद्धातों पर आधारित है। डॉ० अम्बेडकर ने स्वयं स्वीकार किया है कि यह संविधान उनका बनाया हुआ नहीं है। उन्होंने स्वयं कहा, 'मैं तो हैक (Hack) था, मुझे जो करने को कहा, मैंने अपनी इच्छा के विरुद्ध किया।' उन्होंने यह भी कहा कि मैं पहला व्यक्ति होउंगा जो इसे जला देगा। मैं इसे नहीं चाहता। यह संविधान किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है।[11] उन्होंने दो वर्ष पश्चात् पुनः पंजाब के एक सदस्य डॉ० अनूप सिंह के प्रश्न, कि आप इसे जलाना क्यों चाहते हैं ?, के उत्तर में कहा, 'आप इसका उत्तर चाहते हैं। हमने देवता तथा उनके वास के लिए एक मन्दिर बनाया, परन्तु इससे पूर्व वहाँ देवता प्रस्थापित हो, असुरों ने उस स्थान पर कब्ज़ा कर लिया है।'[12]

यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यदि डॉ० भीमराव अम्बेडकर-जैसी प्रतिभा तथा परिश्रम के धनी व्यक्ति इसमें न होते तो संविधान बनाने में बड़ी कठिनाइयाँ आतीं। संविधान सभा के प्रसिद्ध सदस्य टी०टी० कृष्णमाचारी (1889-1974) ने इस बारे में कहा कि 'संविधान की ड्राफ्ट कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉ० अम्बेडकर थे, में सात व्यक्ति नियुक्त किये गए थे। एक ने त्याग-पत्र दे दिया तथा बदला गया। एक की मृत्य हो गयी तथा उसकी स्थान पूर्ति न हुई। एक अमेरिका चला गया तथा स्थान नहीं भरा गया। एक अपने राज्य के कार्य में ज़्यादा व्यस्त रहा। एक अथवा दो दिल्ली से दूर थे तथा सम्भवतः स्वास्थ्य ठीक होने की वजह से भाग न ले सके। अतः, संविधान-निर्माण का कार्य एक व्यक्ति डॉ० अम्बेडकर के कन्धों पर आ पड़ा।'[13]

विद्वानों की प्रतिक्रिया

भारतीय संविधान के बनते ही आशा के विपरीत इसके विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया तथा कटु आलोचना हुई। इसे 'यूरोपीय संविधान', 'यूरोपीय-अमेरिकी संविधान', 'स्वतंत्रता के पश्चात् अपनो को पृथक् कर ब्रिटेन द्वारा दिया भारतीय संविधान', 'काँग्रेस के हिसाब से बना संविधान', 'आपाधापी में बना संविधान' आदि कहा गया। कुछ ने इसके निर्माण को लॉर्ड माउन्टबेटन, पं० नेहरू तथा तत्कालीन आई०सी०एस० अधिकारी श्री बी०एन० राय का बनाया संविधान बतलाया।

यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि भारतीय संविधान में भारतीय संस्कृति, परम्परा तथा इतिहास-दृष्टि का पूर्ण अभाव है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तृतीय मुख्य

---

11. देख राज्यसभा की कार्यवाही, 02 सितम्बर, 1953
12. वही, 19 मार्च, 1955
13. सी०ए०डी० भाग 7, 04 नवम्बर 1948

न्यायाधीश श्री मेहरचन्द महाजन (1889-1967) ने अपने एक लेख में इसे 1935 के ऐक्ट पर आधारित 'दासत्व की प्रति' ('slavish copy') बतलाया।[14] सर्वोच्च न्यायालय के छठे मुख्य न्यायाधीश श्री भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा (1899-1986) ने नयी दिल्ली में सितम्बर, 1966 की एक विचार-गोष्ठी में इसका अधिकतर भाग 1935 के ऐक्ट पर आधारित बताया। प्रसिद्ध विद्वान् कस्तूरीचन्द लालवाणी[15] ने इसकी उद्देशिका, मूल अधिकारों, राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्वों आदि के पीछे 1935 के ऐक्ट की छाप मानी। इसके पुराने ढाँचे को भारत के राजशिल्पियों द्वारा एक नवीन पलस्तर-सामग्री (विदेशी संविधानों) से जोड़कर बनाया हुआ बताया जो इसे एक सतत समन्वय रूप देने में पूर्ण असफल रहे। डॉ० सम्पूर्णानन्द (1891-1969) ने मद्रास में एक भाषण में कहा कि भारतीय संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है। हिंदू महासभा के एक प्रस्ताव में[16] इसे 'पाश्चात्य संविधानों का गड़बड़झाला' कहा जो प्राचीन भूमि की सुन्दरमय संस्कृति तथा परम्पराओं के बिलकुल विपरीत है। प्रसिद्ध विचारक श्री दीनदयाल उपाध्याय (1976-1968) ने एक लेख में कहा कि इस संविधान का पुरस्कार करें या विस्तार करें या बहिष्कार करें।

संविधान सभा के अनेक सदस्यों ने भी भारतीय संविधान पर अनेक आक्षेप किये। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ० राजेन्द्र प्रसाद[17] ने 24 नवम्बर, 1949 को संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए संविधान की मूल प्रति किसी भारतीय भाषा में न होकर अंग्रेज़ी में होने तथा भारतीय संसद में किसी भी संसद सदस्य या विधानसभा के किसी भी उम्मीदवारी के लिए कोई भी शिक्षा की शर्त नहीं रखी जाने पर अपना क्षोभ प्रकट किया। प्रमुख सदस्य श्री एम० अनन्तशयनम् आयंगर (1891-1978) ने इसे 'पश्चिम के कुछ पुराने संविधानों का पैचवर्क' तथा '1935 के एक्ट की नकल' कहा। श्री केंगल हनुमतमथैया (1908-1980) ने कहा,[18] 'हम चाहते थे वीणा या सितार का संगीत, पर यहाँ हमारे पास है इंग्लैण्ड के बैण्ड का संगीत।' श्री हरि विष्णु कामथ (1907-?) ने कहा[19] कि 'हमने अन्य देशों के संविधानों से बहुत कुछ लिया' तथा प्रश्न किया कि 'क्या हमने कोई अपने अतीत से भी लिया है ? क्या भारत की राजनैतिक तथा आध्यत्मिक प्रतिभाओं से भी कुछ लिया है?' उन्होंने पुनः कहा कि 'श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित यू०एन०ओ० में बड़ी

---

14. *द ट्रिब्यून*, 15 अगस्त, 1966
15. कस्तूर चन्द लालवाणी, *इण्डिया स्ट्रगल एण्ड कॉन्टीट्यूशन* (कलकत्ता, 1950)
16. रामनारायण, *फ्रीडम ऑफ़ इण्डिया : ए हॉक्स* (दिल्ली, 1970), पृ० 88, देखें बम्बई का प्रस्ताव, 28 जनवरी, 1950
17. सी०ए०डी०, भाग 11, 24 नवम्बर, 1949 (देखें डॉ० राजेन्द्र प्रसाद का वक्तव्य)
18. वही, भाग 11, 17 नवम्बर, 1949, पृ० 616-617
19. वही भाग 7, 05 नवम्बर, 1948, पृ० 218

फरवरी, 1948 : संविधान समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव अम्बेडकर,
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद को संविधान की पहला मसौदा सौंपते हुए

संविधान सभा की बैठक का एक दृश्य, 1950 ई.

दिनांक 26 नवम्बर, 1949 ई., संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद 'संविधान हॉल' (सम्प्रति संसद भवन का केन्द्रीय कक्ष) में भारतीय गणतंत्र के नये संविधान की प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए

दिनांक 24 जनवरी, 1950 : जवाहरलाल नेहरू नवनिर्मित संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए

गर्मजोशी से कहती हैं कि हमने पेरिस से स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व लिया है, पर यह नहीं बतलाया कि भारत से क्या लिया?' महावीर त्यागी (1899-1980) ने अपनी व्यंग्यात्मक शैली में कहा कि 'आख़िर गाँव को क्या मिला, केवल वोट का अधिकार ?' टी० प्रकाशम् (1872-1957) ने कहा,[20] 'गाँवों को भुलाकर हमने अनेक वर्षों के स्वतन्त्रता संघर्ष को ही एक झटके में विस्मृत कर दिया।'

अनेक गाँधीवादी चिन्तकों या अन्य विचारकों ने इसमें ग्राम, ग्राम पंचायतों तथा ग्राम स्वराज्य का नदारद पाया। प्रसिद्ध विद्वान् धर्मपाल (1922-2006) ने संविधान के सन्दर्भ में पुनः सोचने तथा गाँवों को अपने राजनैतिक ढाँचे में स्थान देने को कहा। प्रसिद्ध पत्रकार प्रभाष जोशी (1936-2009) ने[21] इसे कबायलियों के जंगल में भटकता लोकतंत्र माना है। विद्वान् लेखक भामिनी सेनगुप्त ने[22] संविधान के व्यावहारिक स्वरूप पर कटाक्ष करते हुए लिखा, 'प्रजातन्त्र, झूठे अर्धसत्यों, चालाकियों तथा षड्यन्त्रों के चार पहियों पर नहीं चलेगा। 1997 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी ने कहा, 'भारत का संविधान परिस्थितियों की उपज है। इससे पूर्व संविधान-पद्धतियों का अध्ययन नहीं किया गया। यह संविधान हड़बड़ी में बना है।'

अनेक विदेशी विद्वानों, विचारकों तथा शोधकर्ताओं ने भारतीय संविधान की आलोचनात्मक समीक्षा की है। ब्रिटेन की एक सरकारी रिपोर्ट में[23] कहा गया है कि भारतीय सिद्धान्तों का आधार ब्रिटिश मॉडल है जो वहाँ के फेडरल (Federal) प्रकृति के अनुरूप अपनाया गया है। कुछ विशेषताएँ यू०एस०ए०, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरिश रिपब्लिक से ली गई हैं। माइकेल ब्रेचर (Michael Brecher : b. 1925) ने[24] संविधान के 235 अनुच्छदों को 1935 के एक्ट को ज्यों-का-त्यों अथवा मामूली परिवर्तन के साथ तथा इसमें भारतीय चिन्तन का पूर्णतः अभाव माना है। एक प्रसिद्ध अमेरीकी विद्वान् सर थियोडोर एल० शे (Theodore L. Shay) ने लिखा,[25] 'यह संविधान उपनिषद्, रामायण तथा महाभारत वाले देश में सोचा भी नहीं जा सकता। यह उस भारतीयता का चिन्तन नही करता।'

संक्षेप में हड़बड़ी में हुई भारतीय संविधान की रचना तीस करोड़ के राष्ट्र में

---

20. सी०ए०डी०, भाग 7, 06 नवम्बर, 1948, पृ० 257
21. देखें *जनसत्ता*, जनवरी, 1987 का अंक
22. भामिनी सेन गुप्ता, 'इट्स टाइम्स फॉर ए न्यू रिपब्लिक', *द हिंदुस्तान टाइम्स*, 04 मार्च, 1996
23. *कॉंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इन द कॉमनवेल्थ*, भाग 1, मेम्बर कंट्रीज, 1955, पृ० 31
24. माइकेल ब्रीचर, *नेहरू : ए पॉलिटिकल बायोग्रॉफी* (1959), पृ० 491
25. सर थियोडोर एल० शे, *द लीगेसी ऑफ़ लोकमान्य बालगंगाधर टिळक*

दूरबीन से दिखनेवाला अल्प जनप्रतिनिधित्व, विकट परिस्थितियों की उपज संविधान, तत्कालीन संविधान-निर्माताओं की मानसिकता, देश-विदेश के विद्वानों की आलोचनात्मक समीक्षा से स्पष्ट होता है। इसमें सन्देह नहीं कि अनेक राजसत्ता प्राप्ति से उत्साहित राजनीतिज्ञ आवश्यक रूप से गम्भीर न थे। ताज्जुब है भारतीय संविधान में कहीं भी 'धर्म' (रिलीजन नहीं), 'संस्कृति' या 'राष्ट्र' शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। भारतीय संविधान में न कोई भारतीयता का पुट है न भारतीय संस्कृति से कोई लगाव और न ही अतीत से अभिन्न सम्बन्ध है। मूलतः पाश्चात्य मानसिकता, पाश्चात्य अंधानुकरण तथा पाश्चात्य मॉडल पर बनाया गया संविधान, जो कभी भी भारतीय जनमानस को स्पर्श न कर पाया।

यह उल्लेखनीय है कि गाँधीवादी तथा भारतीय संस्कृति से जुड़े कुछ सदस्यों ने संविधान की उद्देशिका, संविधान के नामकरण, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति-निर्देशक तत्त्व, नागरिकता के प्रश्न, ग्राम, ग्राम पंचायतों तथा ग्राम स्वराज्य, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रभाषा, समान नागरिक संहिता, धारा 370 आदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण बहस की। परन्तु उनको नाममात्र की सफलता मिली।

निश्चय ही भारतीय संविधान से देश में राष्ट्रीयता, अखण्डता तथा एकता के वे उच्च भाव न हो सके जिसकी अपेक्षा थी। इसके विपरीत कुछ समस्याओं— सेक्युलरिज़्म तथा कन्वर्ज़न को बढ़ाया जो आज देश में बेचैनी तथा अशान्ति का कारण बनी हुई है।

सेक्युलरिज़्म

यह सभी को भली-भाँति ज्ञात है कि 'सेक्युलरिज़्म' (Secularism) शब्द पं० जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय संविधान का कहीं कोई भाग न था, परन्तु इस शब्द को भारतीय संविधान की उद्देशिका में श्रीमती इन्दिरा गाँधी (1966-1977) द्वारा घोषित आपातकाल (1975-1977) के क्रूर दिनों में हड़बड़ी में 03 जनवरी, 1977 को दस मिनट में पारित कर दिया गया। निःसन्देह इसने अनेक प्रश्नों को जन्म दिया। आपातकाल में ऐसी कौन-सी आवश्यकता आ पड़ी थी जो इसे अलोकतान्त्रिक ढंग से जनमत को समझे बिना भारतीय संविधान का भाग बना दिया गया ? भारतीय संविधान में जोड़ा गया अंग्रेज़ी शब्द 'सेक्युलरिज़्म' व्यावहारिक दृष्टि से ज़रा भी नया नहीं है। भारतीय चिन्तन में यह युगों-युगों से 'पंथनिरपेक्षता' अथवा 'सर्वपंथसमभाव' के रूप में पहले से विद्यमान है। अतः यह लाखों भारतीयों के हृदय तथा मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पाया। अनेक राजनीतिज्ञों ने स्वार्थवश इसे एक हथियार के रूप में प्रयोग किया तथा कर रहे हैं।

'सेक्युलर' शब्द का अर्थ

मूलतः अंग्रेज़ी का शब्द 'सेक्युलरिज़्म' इंग्लैण्ड में 1851 में बर्मिंघम के जॉर्ज जैकब

दिनांक 24 जनवरी, 1950 : सरदार पटेल और संविधान सभा के अन्य सदस्य भारत के नवनिर्मित संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए। सरदार पटेल अल्पसंख्यकों, आदिवासी और बहिष्कृत क्षेत्रों, मौलिक अधिकारों एवं प्रांतीय संविधानों के लिए उत्तरदायी समितियों के अध्यक्ष थे।

दिनांक 24 जनवरी, 1950 : जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए। चित्र–सौजन्य : द हिंदू फोटो लायब्रेरी

दिनांक 26 जून, 1975 : श्रीमती इन्दिरा गाँधी आकाशवाणी के स्टूडियो से आपातकाल की घोषणा करती हुईं

होलीओक (George Jacob Holyoake : 1817-1906)[26] द्वारा प्रयुक्त हुआ। यह शब्द अंग्रेज़ी शब्द 'सेकुलेशन' के प्रयोग से बना जिसका अर्थ है अलग होना। अर्थात् प्रचलित चर्च या पंथ से अलग होना। इसे चर्च और राज्य के अलगाव तथा नागरिकता के रूप में लिया। इस शब्द की यूरोप में तथा वर्तमान भारत में भी सदैव भ्रामक, उलझनकारी तथा बहुअर्थी दृष्टि बनी रही तथा इसका उपयोग भिन्न-भिन्न शब्दावली तथा अर्थों में प्रयोग होता रहा । इस शब्द की भाषा तथा भाव (letter and spirit) में सदैव अन्तर बना रहा। यूरोप में इसे जहाँ एक राजनीतिक, नकारात्मक तथा प्रतिक्रियावादी विचार के रूप में लिया गया, अमेरिका ने इसे नास्तिकता के दर्शन के रूप में लिया। भारत में यद्यपि प्राचीन काल से यह शब्द एक प्रमुख नैतिक सिद्धान्त के रूप में प्रचलित रहा, परन्तु संविधान में जुड़ जाने से इसके अनेक भ्रामक अर्थ प्रचलित हो गये। इसे 'धर्मनिरपेक्ष', 'धर्मसापेक्ष', 'पंथनिरपेक्ष', 'धार्मिक तटस्थता', 'सर्वधर्मसमभाव', 'सर्वधर्मसम-अभाव', 'हिंदू-विरोधी', 'मुस्लिम-तुष्टिकरण का परिचायक', 'इस्लामी साम्राज्यवाद का पोषक', 'वोट बैंक का राजनैतिक हथियार' आदि शब्दों के रूप में सुविधानुसार प्रयुक्त किया गया है। संस्कृत के विद्वानों ने 'सेक्युलरिज़्म' का निकटतम अर्थ 'नास्तिकवाद' बतलाया है।

अधिकतर भारतीय विद्वानों का मत है कि संविधान में इस शब्द को जोड़ने की जरा भी आवश्यकता नहीं थी। इसे न भारत के मुसलमानों ने पसन्द किया, न ही हिंदुओं ने। काश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश मुज़फ्फर हसन ने इसे अनावश्यक बतलाया। प्रसिद्ध विद्वान् मुशिरुल हसन (जन्म : 1949) ने लिखा कि बहुसंख्यक मुसलमान इसे नहीं मानते।[27] जमेयत-इस्लाम, सैयद अहमद हुसैन तथा अन्य कई इस्लामी संगठनों ने इसे स्वीकार न किया। पद्मभूषण स्वप्न दासगुप्ता (जन्म : 1955) का कथन है[28] कि इस शब्द को संविधान की उद्देशिका में दबावपूर्वक ढंग से शामिल किया गया। भारतीय गणतंत्र का जन्म जिस रूप में हुआ, उसमें 'समाजवाद' और 'सेक्युलरिज़्म' उस समय शामिल नहीं थे, जैसा कि (वर्तमान) नारोंवाली राजनीति में नज़र आता है। सेक्युलरिज़्म की मनमानी व्याख्या तथा एकपक्षीय पंथनिरपेक्षता की आड़ में साम्प्रदायिकता फैलाने की कटु आलोचना भी हुई। डॉ० बी०आर० अम्बेडकर ने इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए छोड़ देने का आग्रह किया था। प्रसिद्ध चिन्तक तथा विचारक डॉ० सूर्यकान्त बाली का कथन सही है[29] कि हम तो सहिष्णुता के जगद्गुरु है। सहिष्णुता हमारे रक्त में है। यह हमारी आस्था है। अतः

---

26. जॉर्ज जैकब होलीओक, *द ओरिजिन एण्ड नेचर ऑफ़ सेक्युलरिज़्म* (लन्दन, 1896), पृ० 51
27. मुशिरुल हसन, *विल सेक्युलर इण्डिया सर्वाइव ?*
28. स्वपन दासगुप्ता, पूर्वोद्धृत
29. सूर्यकान्त बाली, 'हम तो सहिष्णुता के जगद्गुरु हैं', *पाञ्चजन्य*, 08 फरवरी, 2015

'सेक्युलरिज़्म' शब्द को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इसका ऐतिहासिक विश्लेषण करना आवश्यक होगा।

यूरोप, अमेरिका में इसका स्वरूप

प्राचीन ग्रीक में राजा और चर्च में कोई अन्तर नहीं था। देवता की पूजा नागरिकता की पहली शर्त थी। अफलातून (Plato : 428-348 BCE) ने राज्य को एक रिलीजस कन्फैशन (Religious confansion) माना है। रोमन शासकों को भगवान् माना जाता था और उनकी पूजा होती थी। यहूदी दैवीय क़ानून को भगवान् की इच्छा मानते थे। ईसाइयत, यहूदियों के विरुद्ध एक चुनौती के रूप में आया। ईसाइयों को अगले तीन सौ वर्षों तक बहुत विरोध सहना पड़ा। उन्हें चोर, डाकू, धोखेबाज, देशद्रोही आदि कहा गया। रोम के शासक कॉन्सटेंटाइन (Constantine) ने जब ईसाई मत अपना लिया, तब अत्याचारों का वही दौर ग़ैर-ईसाइयों पर चला। यूरोपीय इतिहास में यही क्रम अगले एक हज़ार वर्ष तक चलता रहा। मजहबी युद्धों ने सभी मानवीय मूल्यों की हदें पार कर दीं। इस काल में पुनर्जागरण तथा सुधारों का काल भी आया। जर्मनी के पादरी मार्टिन लूथर (Martin Luther : 1483-1546) ने कैथोलिक मत का विरोध कर 16वीं शताब्दी में प्रोटेस्टेंट (Protestant) मत की स्थापना की। शासक का धर्म जनता का धर्म बन गया और इसलिए हज़ारों लोगों का अपना देश छोड़कर भागना पड़ा।

इसी भाँति अमेरिका में 1776 ई० में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारम्भ हुआ। अमेरिका में सेक्युलरिज़्म के लिए भी आन्दोलन हुआ। 1786 ई० में धार्मिक स्वतन्त्रता स्थापित करने के लिए बिल रखा गया।[30] इस अर्थ में अमेरिका विश्व का पहला सेक्युलरवादी राज्य बन गया। 1791 ई० में अमेरिका के संविधान ने इसे मान्यता दी। कुछ ने इसकी आलोचना भी की तथा इसे शरारती मुसलमानों तथा अमेरिकी वामपंथियों का अपवित्र समझौता बताया।[31] अमेरिका के प्रारम्भ के अध्यक्षों– जॉर्ज वाशिंगटन (George Washington : 1789-1797), जॉन एडम्स (John Adams : 1797-1801), थॉमस जैफरसन (Thomas Jefferson : 1801-1809), , जेम्स मेडीसोन (James Madison : 1809-1817)– सभी के लेखों तथा भाषणों से ज्ञात होता है कि वे नास्तिक थे, यद्यपि वे 'सेक्युलरवादी' कहलाते थे।[32] परन्तु यह नास्तिकता व्यावहारिक रूप से कभी न बन पायी। विश्व प्रसिद्ध नास्तिकों के वर्तमान नेता तथा संगठक रिचर्ड डाकिन्स ने माना है कि आज भी

30. देखें *अमेरिकन हैरीटेज़ डिक्शनरी*

31. डेविड होरोविट्स, *अनहोली एलायंस : रेडिकल इस्लाम एण्ड अमेरिकन लैफ्ट* (2011)

32. रिचर्ड डॉकिन्स, *द गॉड डिलुजन* (ग्रेट ब्रिटेन, 2007), पृ० 60

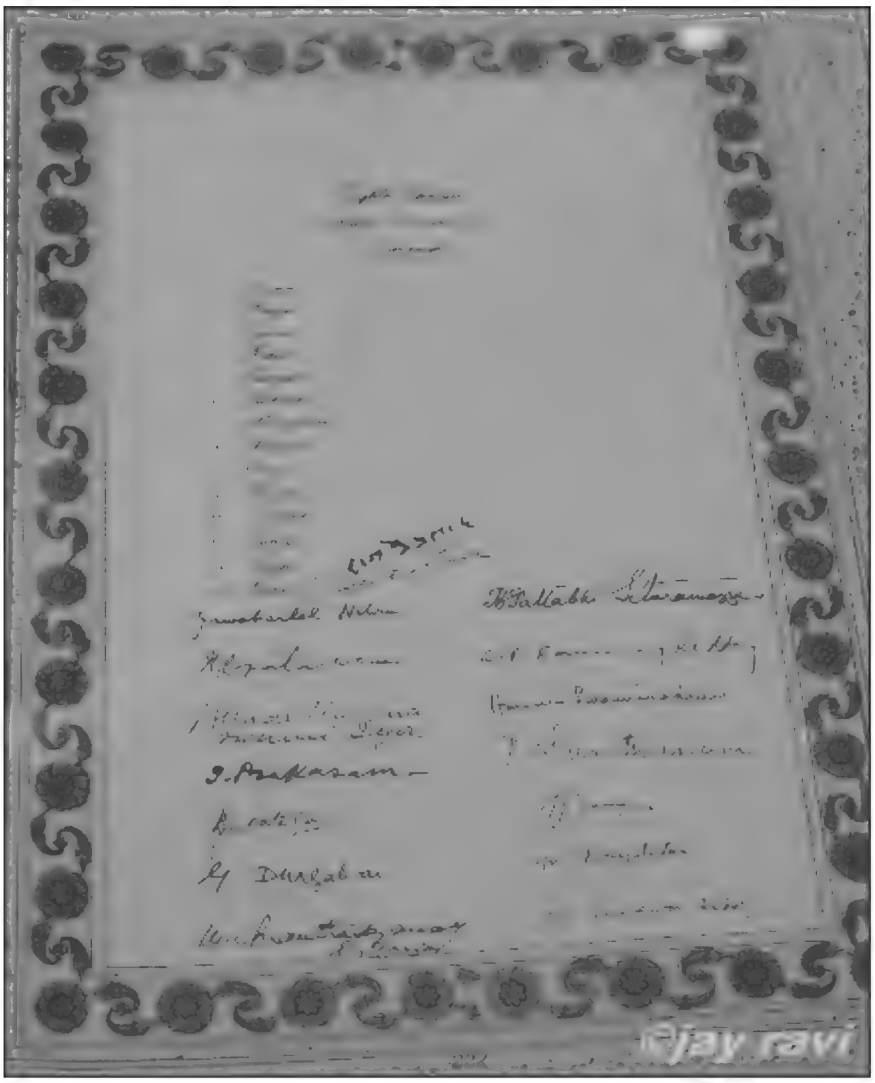

संविधान के प्रथम हस्ताक्षर–पृष्ठ पर डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, टी. प्रकाशम इत्यादि के हस्ताक्षर

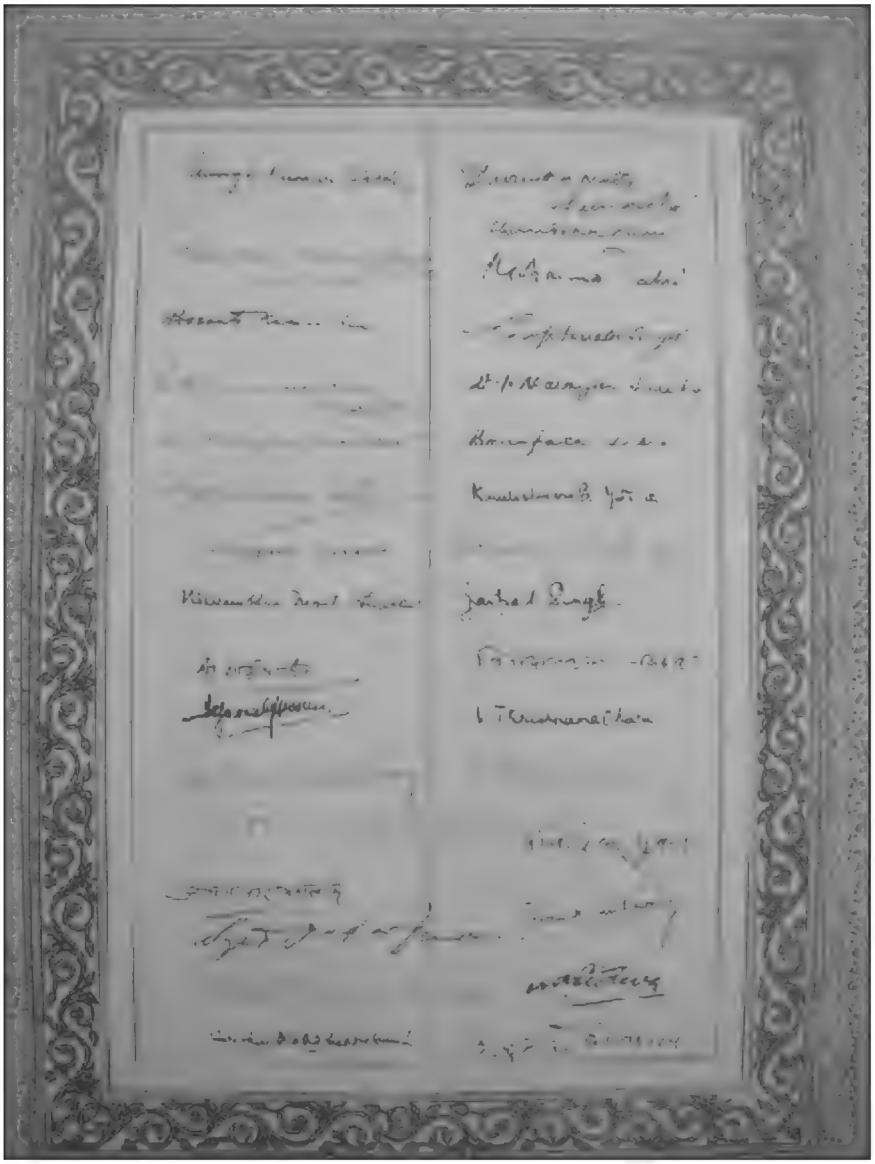

संविधान की मूल प्रति पर सदस्यों के हस्ताक्षर

अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव में खड़े व्यक्ति को अपने को नास्तिक कहना उसकी राजनैतिक आत्महत्या की भाँति है।[33]

इंग्लैण्ड भी इस धार्मिक झगड़ों में पीछे न था। इंग्लैण्ड ने प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय को अपनाया था। 1832 के प्रथम सुधार नियम के समय रिलीजन और राजनीति को अलग करने की मांग की गई थी। ईश्वर व ईसाइयत के अस्तित्व को भी चुनौती दी गई थी, परन्तु इंग्लैण्ड ने यह स्वीकार न किया था। इतना ही नहीं, इंग्लैण्ड के क्राउन के लिए प्रोटेस्टेण्ट मत मानना अनिवार्य था। इंग्लैण्ड के इतिहास में 'सेक्युलरिज़्म' शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज जैकब होलीओक ने किया था, जिसका अर्थ अलग होना था।[34] अतः यह सरकार द्वारा प्रचलित चर्च या पंथ से अलग होने की घोषणा थी। जैकब ने इसका अर्थ– 'व्यक्ति का आत्मविवेक एवं आत्मचेतना के अनुसार स्वतंत्र चिन्तन की व्यवस्था बतलाया।' उसने अपनी पुस्तक में इसकी प्रकृति की विस्तृत व्याख्या की। अनेक ने इसका अर्थ नास्तिकता से लिया। आधुनिक विद्वानों– बर्ट्रेण्ड रसेल (Bertrand Arthur William Russell : 1872-1970) तथा इन्मेटशोअल ने इसे ऐसा ही माना।

भारतीय पंथनिरपेक्षता की गहरी जड़ें

पश्चिमी जगत् व अमेरिका के विपरीत भारत में प्राचीन काल से धार्मिक सहिष्णुता, उदारता तथा समरसता का बोलबाला रहा है। भारत को 'धार्मिक आस्था की स्थली' कहा गया। *ऋग्वेद* (1.164.46) में कहा गया कि सत्य एक है, परन्तु विद्वानों ने उसे भिन्न-भिन्न शब्दावली में बताया है। उपनिषदों, *भगवद्गीता, ब्रह्मसूत्र* में भी यही विचार दिये हैं। कौटिल्य के *अर्थशास्त्र*[35] में राज्य का कर्त्तव्य 'सबकी सुरक्षा, चाहे वह किसी मत-पंथ का माननेवाला हो' बतलाया। *मनुस्मृति*[36] में राजा ने निर्देश देते हुए कहा कि जैसे पृथिवी माता सभी प्राणियों को समान सहायता देती है, उसी प्रकार एक राजा को बिना किसी भेदभाव के सहायता करनी चाहिये'। मौर्य सम्राट् अशोक तथा गुप्त-शासकों ने भी पंथों तथा सम्प्रदायों को आश्रय दिया। चन्द्रगुप्त (द्वितीय) के मंत्री बौद्ध तथा शैव थे। नालन्दा विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का केन्द्र था, परन्तु उसे सभी दान देते थे। हर्षवर्धन (606-647) ने सभी ब्राह्मणों तथा श्रमणों का सम्मान किया था। इतना ही नहीं, भारत में ईसाइयों तथा पारसियों को भी आश्रय दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि सीरियाई ईसाइयों का पहला दल

---

33. रिचर्ड डॉकिन्स, पूर्वोद्धृत, पृ० 67
34. जॉर्ज जैकब होलीओक, पूवोद्धृत, पृ० 51; न्यू वैबर्स डिक्शनरी, भाग 2 (यू०एस०ए०, 1992 संस्करण), पृ० 373
35. देखें डॉ० आर० शर्मा शास्त्री, *कौटिल्य अर्थशास्त्र* (आठवाँ सस्करण) पृ० 39
36. *मनुस्मृति*, 9.311

सर्वप्रथम भारत पहुँचा था। ईरान से पारसियों का दल भी भारत पहुँचा जिन्हें न केवल आश्रय दिया गया बल्कि उनके लिए अग्नि मन्दिर भी बनवाए गये। सम्राट् कृष्णदेवराय (1509-1529), छत्रपति शिवाजी (1674-1680), महाराजा रणजीत सिंह (1801-1839) इत्यादि सभी राजाओं ने अपने शासन काल में सभी मतों-पंथों का सम्मान किया था। संक्षेप में भारत में सदैव 'सर्वपंथसमभाव' रहा जो भारत का विश्व में एक वैशिष्ट्य है।

विश्व के विद्वानों का दृष्टिकोण

विश्व के प्रायः विद्वानों ने भारत की धार्मिक सहनशीलता, उदारता तथा धार्मिक स्वतंत्रता की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। विश्वविख्यात भारतीय दार्शनिक डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1888-1975)[37] ने लिखा कि 'भारत-जैसी उदारता विश्व में कहीं भी नहीं है।' यह भी लिखा, 'भारत ने धर्म का प्रयोग राज्य-विस्तार के लिए कभी नहीं किया।' भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री पी०बी० गजेन्द्र गडकर (1901-1979)[38] ने भारत की धार्मिक उदारता तथा सभी मत-पंथों के सामञ्जस्य की बात कही। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चन्द्र मजूमदार (1888-1980) ने भारत के धर्म को उसकी 'उदारता का सर्वोत्कृष्ट स्मारक' बतलाया है। प्रसिद्ध इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार (1870-1958) ने लिखा, 'हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, बल्कि धर्मों (सम्प्रदायों) का संयोग, विश्वास का सहयोगी तथा दर्शन की संघ रचना है।' महात्मा गाँधी (1869-1948)[39] ने माना कि 'हिंदू-धर्म कोई पंथ नहीं है, बल्कि अनेक रिलीजनों का समुच्चय है।' वे हिंदू-धर्म को सत्य की अथक खोज, सबसे अधिक सहिष्णु मानते हैं। उन्होंने पुनः लिखा कि 'हिंदू मूर्खता की हद तक असाम्प्रदायिक हैं।' फ्रांसीसी दार्शनिक रोमा रोलां (Romain Rolland : 1866-1944) ने 'हिंदुत्व को विभिन्न सम्प्रदायों का एक सुन्दर गुलदस्ता' माना है। बर्नार्ड शॉ (George Bernard Shaw : 1856-1950) ने हिंदू-धर्म को 'विश्व का सर्वाधिक उदार धर्म' बताया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर (Karl Emil Maximilian "Max" Weber : 1864-1920)[40] ने माना कि हिंदू सहिष्णुता की हद हैं तथा इसे धर्म की कोटि में नहीं रखा जा सकता।' ए०के० वार्डर (Anthony Kennedy Warder : 1924-2013)[41] ने हिंदुओं

---

37. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, *रिकवरी ऑफ़ फेथ*
38. पी०बी० राजेन्द्र गड़कर, *द कॉन्स्टीट्यूशन ऑफ़ इण्डिया : इट्स फिलोसॉफी एण्ड बेसिक पॉसटुलेट्स* (ऑक्सफोर्ड, 1969), पृ० 40
39. मोहनदास करमचन्द गाँधी, सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, खण्ड 23, पृ० 516-18, 24अप्रैल 1924; वही, भाग 27, पृ० 170-71 (20 अक्टूबर, 1927)
40. मैक्स वेबर, *द रिलीजन ऑफ़ इण्डिया* (अनु०) एच०एच० गार्ले, 1958), पृ० 21
41. ए०के० वार्डर, *एन इन्ट्रोडक्शन ट्र इण्डियन हिस्टोरियोग्राफी* (बम्बई, 1972), पृ० 4

को 'अत्यधिक सहिष्णु' पाया है।

भारतीय संविधान में बहस

यह भारतीय इतिहास की विस्मयकारी घटना है कि संविधान में अपनाया गया पाश्चात्य शब्द 'सेक्युलरिज़्म', जिसके भारतीय संविधान के तीन वर्ष के लम्बे कालखण्ड (09 दिसम्बर, 1946 से 26 नवम्बर, 1949) में बहस नाममात्र की है जबकि ये 1977 में आपातकाल के पश्चात् पहले काँग्रेस पार्टी का चुनावी मुद्दा तथा वर्तमान में सभी तथाकथित सेक्युलरवादी पार्टियों का चुनाव जीतने का मुख्य नारा बन गया है। यह और भी आश्चर्यजनक है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पं० नेहरू, जो धर्म को जहर[42] मानते थे तथा ईश्वर[43] तथा आत्मा[44] को न मानते थे जिसे विद्वानों ने 'नास्तिक'[45] कहा है। अपने काल में 'सेक्युलर' संविधान न बना सके जो उनकी पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने अपने अधिनायकवाद के दौरान कर दिखलाया।

उल्लेखनीय है कि 'सेक्युलरिज़्म' शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान सभा की समस्त कार्यवाही में नाममात्र का हुआ था।[46] 15 नवम्बर, 1948 को संविधान सभा में संविधान को अन्तिम रूप देने के दौरान जब इसके प्रथम वाचन में एक-एक अनुच्छेद पर विचार प्रारम्भ हुआ, तब 'सेक्युलर' शब्द के प्रयोग की बात आयी। उद्देशिका में एक सुझाव आया कि इसमें 'भगवान् के नाम पर' वाक्य जोड़ा जाये। एक दूसरा प्रस्ताव आया कि इसमें 'महात्मा गाँधी के नाम पर' जोड़ा जाये। तीसरा प्रस्ताव आया कि इसमें 'हुतात्माओं के नाम पर' जोड़ा जाये। परन्तु ये सभी प्रस्ताव/सुझाव अस्वीकृत कर दिये गये। उद्देशिका में पं० नेहरू द्वारा बनाये संविधान में 'सेक्युलर' शब्द नहीं था।

श्री अनन्तशयनम् आयंगर ने इस देश को 'इण्डिया' तथा इसे 'राज्यों के संघ' कहने पर आपत्ति की और 'इण्डिया' के बजाय 'भारतवर्ष' या 'हिंदुस्थान' रखने को कहा। श्री नज़ीरुद्दीन अहमद ने संघ को यू०एस०एस०आर० (रूस) की तर्ज़ पर 'युनाइटेड इण्डियन सोशलिस्ट रिपब्लिक' रखने का प्रस्ताव रखा। प्रो० के०टी० शाह[47] चाहते थे कि

---

42. जवाहरलाल नेहरू, गिलिम्पसेज़ ऑफ़ वर्ल्ड हिस्ट्री, पृ० 37, 84-95,131, 503; जवाहरलाल नेहरू के हिंदुत्व के बारे के विचार के लिए देखें, सतीश चन्द्र मित्तल, 'हिंदुत्व और पं० जवाहरलाल नेहरू', *पाञ्चजन्य*, 09 फरवरी, 2014
43. देखे 'सेयिंग्स ऑफ़ नेहरू', द हिंदुस्तान टाइम्स, 27 मई, 1965
44. जवाहरलाल नेहरू, *द डिस्कवरी ऑफ़ इण्डिया*, पृ० 15-16
45. रिचर्ड डॉकिन्स,पूर्वोद्ध, पृ० 67
46. विस्तृत अध्ययन के लिए देखें सी०ए०डी० की कार्यवाही के विभिन्न भाग
47. प्रो० के०टी० शाह का वक्तव्य, सी०ए०डी०, भाग 7, 15 नवम्बर, 1949 पृ० 399

भारत एक सेक्युलर, संघात्मक समाजवादी राज्यों का संघ हो। डॉ० बी०आर० अम्बेडकर ने के०टी० शाह के प्रस्ताव को पूर्ण अस्वीकृत किया तथा तर्कसंगत शैली में बतलाया कि यह 'प्रजातंत्र को पूर्णतः नष्ट करनेवाला होगा' तथा 'पूर्णतः अनावश्यक' है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुच्छेद में 'सेक्युलरिज़्म' शब्द को स्थान न मिलने पर श्री हरि विष्णु कामथ ने इसे संविधान की उद्देशिका में स्थान देने का असफल प्रयत्न किया। भारतीय संविधान के दूसरे वाचन में श्री बृजेश्वर प्रसाद ने 17 अक्टूबर, 1949 को 'सेक्युलर' शब्द जोड़ने का आग्रह किया। तर्क था कि इससे अल्पसंख्यकों को नैतिक बल मिलेगा, पर यह प्रस्ताव भी स्वीकृत न हुआ। 'सेक्युलर' शब्द की मामूली चर्चा मौलिक अधिकारों के प्रसंग पर भी हुई, परन्तु चर्चा इसके विरोध में अधिक थी। श्री लोकनाथ मिश्र (1922-2009)[48] ने सेक्युलर स्टेट के विचार को फिसलनभरा बतलाया तथा इसका उद्देश्य भारत की प्राचीन संस्कृति को दबाने का तरीका बताया। उन्होंने अनुच्छेद 18 का विरोध किया जिसमें धर्मप्रचार की खुली छूट है। उन्होंने इसे 'गुलामी का चार्टर', 'अत्यधिक अपमानजनक' तथा 'भारतीय संविधान का कालिमापूर्ण भाग' कहा। श्री शिवनलाल सक्सेना (जन्म : 1906) ने 'सेक्युलर' शब्द कहीं नहीं तो राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों में जोड़ने को कहा, पर यह प्रस्ताव भी स्वीकृत न हुआ। पं० नेहरू की 'सेक्युलर' शब्द को संविधान में जोड़ने की महत्त्वाकांक्षा पूरी न हुई, डॉ० बी०आर० अम्बेडकर ने 1951 में भारतीय संसद में कहा कि यह संसद किसी पंथ-विशेष को शेष लोगों पर थोपने की अधिकारिणी नहीं होगी।[50]

संविधान में 'सेक्युलर' शब्द जुड़ने से उपजे अनेक प्रश्न

उल्लेखनीय है कि 'सेक्युलरिज़्म' शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में आपातकाल में हड़बड़ी में 03 जनवरी, 1977 को जोड़ दिया गया। निःसन्देह इसने अनेक प्रश्नों को जन्म दिया। आपातकाल में ऐसी कौन-सी आवश्यकता आ पड़ी जो इसे अलोकतान्त्रिक ढंग से जनमत समझे बिना भारतीय संविधान का भाग बनाया गया ? क्या यह पं० नेहरू की महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति थी ? क्या यह भारतीय मुसलमानों तथा ईसाइयों को प्रसन्न कर हिंदू-प्रतिरोध या भविष्य के लिए एक राजनैतिक चाल थी ? क्या तत्कालीन नेता भारत में पहले से ही प्रचलित पंथनिरपेक्षता से परिचित न थे ? क्या यह सम्भव है कि अनेक असन्तुष्ट काँग्रेसियों को इस शब्द के जोड़ने से काँग्रेस में उत्पन्न खटास को दूर करने का प्रयत्न था ? परन्तु यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि यह पहले से ही भारतीय चिन्तन में व्यापक रूप में रहा है। देश के अनेक विद्वानों ने भारत के सन्दर्भ में इस शब्द को

48. श्री लोकनाथ मिश्र का सी०ए०डी०, भाग 7, 06 दिसम्बर, 1948, पृ० 823
49. गिरिलाल जैन, *नकली सेक्युलरिज़्म बनाम राष्ट्रीयता* (नयी दिल्ली, 1991), पृ० 23-24, 29
50. *पार्लियामेण्टरी डिबेट*, खण्ड 2, भाग 2, पृ० 2466

निरर्थक, प्रेरणाहीन तथा राष्ट्रीय एकता तथा अखण्डता में बाधक माना है। सम्भवतः इसीलिए समूचे देश में वर्तमान में भारतीय संविधान से 'सेक्युलरिज़्म' शब्द हटाने की मांग बलवती होती जा रही है।[51]

कन्वर्ज़न

कन्वर्ज़न के सन्दर्भ में गत 02 अप्रैल, 2015 को अमेरिका के 'प्यू रिसर्च सेंटर' (Pew Research Center) से प्रकाशित रिपोर्ट[52] चौंकाने तथा चकित करनेवाली है, परन्तु भयभीत करनेवाली नहीं है। इतिहास में कभी भी गणित के आँकड़ों के अनुसार परिवर्तन नहीं होते। रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी वर्तमान इण्डोनेशिया की बजाय भारत में अधिक होगी। विश्व का सर्वाधिक प्रचलित मत ईसाइयत होगा तथा जहाँ कुछ देशों में नास्तिक बढ़ेंगे, वहाँ भारत एकमात्र देश होगा जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक होगी। प्रस्तुत आँकड़े आश्चर्यजनक हैं, पर सावधान करनेवाले हैं। यह सर्वज्ञात है कि हिंदू-धर्म में कन्वर्ज़न तथा हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जबकि इस्लाम या ईसाइयत इसके बिना एक भी कदम चलने को तैयार नहीं है।

यदि विषय का चिन्तन केवल भारतीय संविधान के अंतर्गत करें, तो भी अवस्था भयावह तथा गम्भीरतापूर्वक विचारणीय है।

संविधान सभा में अक्षम्य भूल

विभाजित भारत में भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को कन्वर्ज़न की इतनी छूट मिली कि वे ब्रिटिश शासनकाल में कभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में इसकी उद्देशिका तथा अनुच्छेद 19 में प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म पालन करने तथा सभी प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, तो भी अनुच्छेद 25 में इस पर पुनः चर्चा हुई। इसमें मौलिक अधिकारों से जोड़ते हुए कन्वर्ज़न का बिना किसी रुकावट, प्रावधान या क़ानून के समर्थन किया गया। कुछ प्रबुद्ध तथा वरिष्ठ सदस्यों— सर्वश्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी (1887-1971), अनन्तस्वामी आयंगर, एल० कृष्णस्वामी भारती (1904-1995), पं० अलगूराय शास्त्री, जगनारायण लाल, रघुनाथ विनायक धुलेकर (1891-1980), राजर्षि पुरुषोत्तमदास टण्डन (1882-1962) तथा लोकनाथ मिश्र ने कन्वर्ज़न पर कड़े ऐतराज किये। टकराव का मुख्य मुद्दा अनुच्छेद 25 का दूसरा भाग है। जहाँ पहले भाग में सभी व्यक्तियों को अपने धर्म

---

51. *दैनिक जागरण*, 29 जनवरी 2015

52. देखे प्यू रिसर्च सेन्टर की प्रकाशित रिपोर्ट, 02 अप्रैल, 2015, उद्धृत *द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया*, 04 अप्रैल, 2015

अपनाने, प्रचार करने तथा अपने रीति-रिवाजों के अनुरूप चलने की पूर्ण स्वीकृति दी, वहीं दूसरे भाग में प्रारम्भ में यह जोड़ा गया कि बशर्ते इसमें लोकव्यवस्था, नैतिकता अथवा स्वास्थ्य तथा मूल अधिकारों के अध्याय में सम्मिलित दूसरे प्रावधानों पर कोई आँच न आती हो। दूसरे भाग में यह भी कहा गया कि छल-कपट, लोभ-लालच, भय तथा आतंक के अनुचित प्रभाव के द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में किये जानेवाले कन्वर्ज़न की क़ानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। भारतीय संविधान में मुख्यतः बहस 01 मई, 1947 से 30 अगस्त, 1947 के दौरान हुई।[53] जनमत कन्वर्ज़न पर कड़े क़ानून बनाने के पक्ष में था। आयंगर व एल० कृष्णस्वामी भारती ने कन्वर्ज़न को प्रतिबन्धित न करने पर भविष्य में इससे उत्पन्न होनेवाले भयंकर ख़तरों से भी अवगत कराया। श्री लोकनाथ मिश्र ने इसे शर्मनाक भी बताया। परन्तु दो प्रमुख ईसाई-सदस्यों– फ्रेंक एंथोनी (Frank Anthony : 1908-1993) तथा जे०जे०एम० निकोल्स (J.J.M. NIchols : 1884-1959) को प्रसन्न करने के लिए देश के भविष्य को अन्धकार में झोंक दिया गया। भारतीय संविधान सभा द्वारा कन्वर्ज़न की यह खुली छूट भारतीय जनसमाज के साथ एक अक्षम्य अपराध था। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं की चेतावनी को अनसुना कर दिया गया। निश्चय ही इससे विभेदकारी, अलगाववादी, भारतीय संस्कृति-विरोधी तथा अराष्ट्रीय धारा का संरक्षण तथा संवर्धन हुआ।

भारतीय संसद में क़ानून

सन् 1950 में भारतीय संविधान लागू होते ही मुसलमानों तथा ईसाइयों को कन्वर्ज़न की पूरी छूट मिल गयी। अब तो ईसाइयों पर 'ब्रिटिश साम्राज्यवादी' कहलाने का तमगा भी हट गया। गत चार वर्षों (1951-1954) में मुस्लिम तथा ईसाई-जनसंख्या तेजी से बढ़ी। एक प्रसिद्ध ईसाई मिशनरी ने इसे ख़ुशी का अवसर बतलाते हुए कहा कि इससे पहले भारतीय इतिहास में ऐसा अवसर 'पहले कभी न आया'[54] तथा मिशन के कार्य को आगे बढ़ाने का सन्देश दिया।

सन् 1953 में काश्मीर विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री के०एम० पणिक्कर (1894-1963)[55] की पुस्तक ने ईसाइयों में बेचैनी उत्पन्न की जिसमें भारत में 1498 से 1945 तक ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ ईसाई मिशन की गतिविधियों का वर्णन किया। भारत सरकार के अनेक तथाकथित बुद्धिजीवियों, सेक्युलरवादियों तथा भारतीय

---

53. विस्तृत जानकारी के लिए देखें, सी०ए०डी० की कार्यवाही; सतीश चन्द्र मित्तल, 'कन्वर्ज़न पर सेक्युलर चुप्पी', *पाञ्चजन्य*, 01 मार्च, 2015
54. फेलिक्स अल्फ्रेड प्लैटनर, *द कैथोलिक चर्च इन इण्डिया : येसटर्डे एण्ड टुडे* (इलाहाबाद, 1964), पृ० 6
55. के०एम० पणिक्कर, एशिया एण्ड वेस्टर्न डोमिनियन्स (लन्दन, 1953), पृ० 481

कम्युनिस्टों ने चुप्पी साध ली। भारतीय संसद में प्रश्न गूँजा कि 'क्या धर्मप्रचार का अधिकार भारतीय नागरिकों पर लागू होता है या भारत में रहनेवाले विदेशियों पर भी ?' मार्च, 1954 में इस सन्दर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी राय भारतीय संविधान के अनुरूप दी तथा इसे मौलिक अधिकार बताते हुए कहा कि मौलिक अधिकार भारत के संविधान में प्रत्येक पर लागू होता है। भारत में रहनेवाले विदेशियों पर भी।[56]

सन् 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पं० नेहरू के काल में एक संसद-सदस्य श्री जेठालाल हरिकिशन ने भारतीय संसद में एक 'इण्डियन कन्वर्ज़न (रेग्यूलेशन एण्ड रजिस्ट्रशन) बिल' रखा। इसमें संविधान सभा में की गई गलतियों को सुधारने का प्रयत्न था। निश्चय ही यदि बिल स्वीकृत हो जाता तो अल्पसंख्यकों की मनमानी से राहत मिलती। इस बिल में कन्वर्ज़न पर कठोर नियंत्रण की बात की गई थी, परन्तु बिल के विरोध में तथा ईसाइयों के समर्थन में स्वयं पं० नेहरू ने[57] कहा, 'मुझे भय है कि यह बिल किसी प्रकार से, तरीकों को दबाने में कोई मदद करेंगे, बल्कि अनेक लोगों के लिए एक महान् पीड़ा का कारण हो सकता है। हमें इन बुराइयों को दूसरे ढंग से सुलझाना चाहिए। दूसरे शब्दों में न कि उस मार्ग से जो दूसरे प्रकार के दमन को प्रोत्साहन दे। ईसाइयत भारत में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचारधारा है जो लगभग 2,000 वर्षों से भारत में स्थापित है। हमें ऐसा कोई कार्य न करना चाहिए जो ईसाई दोस्तों या उसके अनुयायियों के मनों में कोई दमन या दबाव की भावना को पैदा करे।'

इसी बीच 16 अप्रैल, 1954 को मध्यप्रदेश सरकार ने ईसाइयों की गतिविधियों की जाँच-पड़ताल के लिए नागपुर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री भवानी शंकर नियोगी[58] का 7-सदस्यीय कमीशन नियुक्त किया जिसने जुलाई 1956 में 1,500 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें निष्कर्ष रूप में ईसाई-मिशनरियों का उद्देश्य छः लाख लोगों का कन्वर्ज़न बताया। इसके अलावा जनवरी, 1950 से जून, 1954 तक पाश्चात्य देशों द्वारा चर्च मिशन को 29.27 करोड़ का भारी धनराशि देने का रहस्योद्घाटन भी हुआ।[59] इस पर भी भारत के गृहविभाग के राज्यमंत्री बी०एन० दातार ने सितम्बर, 1956 में कमीशन की

---

56. विस्तार के लिए देखें : सीताराम गोयल, *हिस्ट्री ऑफ़ हिंदू-क्रिश्चियन इनकाउंटर्स : ए०डी० 304 टू 1996* (नयी दिल्ली, 1986), पृ० 297; प्लैटनर, पूर्वोद्धृत, पृ० 6-7
57. प्लैटनर, पूर्वोद्धृत, पृ० 6-7
58. विस्तृत अध्ययन के लिए देखें : *रिपोर्ट ऑफ़ द क्रिश्चियन मिशनरी एक्टीवीटीज इन्क्वायरी कमेटी मध्यप्रदेश* (नियोगी कमेटी रिपोर्ट) (2 भाग), नागपुर, 1956; *डॉ० हरवंशलाल ओबराय समग्र*, भाग 1, पृ० 76
59. सीताराम गोयल, पूर्वोद्धृत, पृ० 307

रिपोर्ट को संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के आधार पर स्वीकार न किया।[60] साथ ही यह भी कहा, "विदेशी मिशनरियों के कार्य को नियन्त्रित करने के लिए कोई कदम न उठाया जायेगा।"[61] यह भारतीय संसद की बड़ी ग़लती थी तथा उसने भूल-सुधार का अवसर खो दिया। सरकार का राजनैतिक स्वार्थ, देश के लिए अपने हाथ से अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारने के समान कुकृत्य था।

सन् 1960 में श्री प्रकाशवीर शास्त्री (1923-1977) ने पं० नेहरू के काल में पुनः भारतीय संसद में एक बैकवर्ड क्रिमिनल लॉ (रिलीजस प्रोटेक्शन) बिल रखा। यह बिल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर दबाव व अनुचित तरीकों द्वारा कन्वर्ज़न के सन्दर्भ में था। सरकार ने 'मैं न मानूँ' की ज़िद बताते हुए इसे भी अस्वीकृत कर दिया। इसे 'असंवैधानिक'[62] बताते हुए केन्द्रीय मंत्री ने यह भी कहा, "वे (ईसाई मिशनरी) ईसा मसीह के सन्देश को मानवता की सेवा तथा ऐसे कार्य में लगे हैं जो विश्व में उनकी महानतम देन थी।[63] स्वाभाविक है कि समस्त ईसाई-मिशनरियों में भविष्य के प्रति एक नव-आशावाद का भाव बढ़ा। 1951-1971 में भारत में ईसाई-जनसंख्या 64.9 प्रतिशत बढ़ी। जबकि सामान्य वृद्धि 51.7 प्रतिशत इस काल में थी।[64] कैथोलिक बिशपों की एक काँफ्रेंस में एक मिशनरी ने हर्षित होते हुए कहा कि भारत में मिशन प्रोग्राम का पहला भाग प्राप्त कर लिया है तथा चर्च का अगला कदम उत्तरदायित्वपूर्ण कर्त्तव्य अर्थात् भारतीय जनता का कन्वर्ज़न होगा।[65]

सन् 1979 में श्री मोरारजी देसाई की अल्पकालीन सरकार के काल में श्री ओमप्रकाश त्यागी (1912-1986) ने 'धार्मिक स्वातंत्र्य (फ्रीडम ऑफ़ रिलीज़न) बिल' रखा। इसका सर्वाधिक विरोध 'भारत रत्न' प्राप्त मदर टेरेसा (Anjezṇ Gonxhe Bojaxhiu : 1910-1997) तथा उनके अनुयायियों ने किया।[66] संसद के कुछ सदस्यों तथा अल्पसंख्यक आयोग की तीव्र प्रतिक्रिया पर बिल पास न हो सका। आश्चर्यजनक है कि जनभावना की घोर उपेक्षाकर श्री राजीव गाँधी (1944-1991) तथा उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गाँधी (Edvige Antonia Albina Maino, b. 1946) ने सेक्युलरवाद

---

60. सीताराम गोयल, पूर्वोद्धृत, 316; प्लैटनर, पूर्वोद्धृत, पृ० 11
61. सीताराम गोयल, पूर्वोद्धृत, 316; प्लैटनर, पूर्वोद्धृत, पृ० 7
62. सीताराम गोयल, पूर्वोद्धृत, 316; प्लैटनर, पूर्वोद्धृत, पृ० 7-8
63. सीताराम गोयल, पूर्वोद्धृत, 317; प्लैटनर, पूर्वोद्धृत, पृ० 7-8
64. सीताराम गोयल, पूर्वोद्धृत, 317
65. प्लैटनर, पूर्वोद्धृत, पृ० 134
66. *डॉ० हरवंशलाल ओबराय समग्र*, भाग 1 (बीकानेर, 2010), पृ० 95

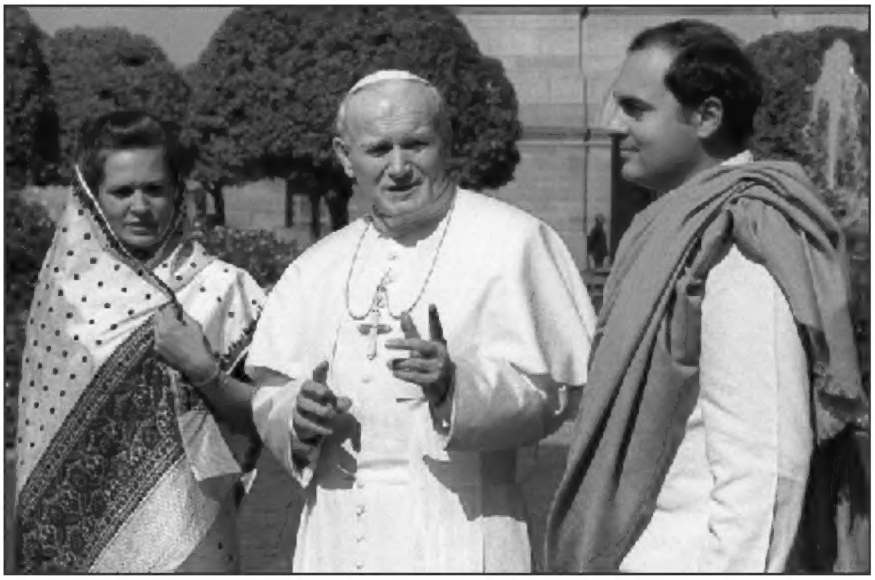

दिनांक 01 फरवरी, 1986 : नयी दिल्ली में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गाँधी एवं उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गाँधी द्वारा रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के प्रधान पोप जॉन पॉल द्वितीय का भव्य स्वागत

श्रीमती सोनिया गाँधी केरल में सायरो मालाबार चर्च के प्रधान मेजर आर्कबिशप जॉर्ज अलेनकेरी के साथ

फरवरी, 1986 ई. : कलकत्ता में पोप जॉन पॉल द्वितीय के साथ मिशनरी ऑफ़ चैरिटी की प्रधान मदर टेरेसा; चित्र–सौजन्य : (Jean-Claude Delmas / AFP/Getty Images)

फरवरी, 1986 ई. : मिशनरी ऑफ़ चैरिटी में मदर टेरेसा और पोप जॉन पॉल द्वितीय (कन्वर्ज़न का घिनौना खेल); चित्र–सौजन्य : CNS photo/Arturo Mari) (Jan. 14, 2011)

के धारणा की धज्जियाँ उड़ाकर फरवरी, 1986 में रोम के पोप (Pope John Paul II : 1978-2005) का स्वागत असंवैधानिक ढंग से राजकीय सम्मान से किया तथा बाद में सोनिया-मनमोहन सिंह ने ईसाई-गतिविधियों तथा उनके कुप्रचारों तथा भ्रष्ट कन्वर्ज़न के तरीक़ों की अनदेखी कर दी।

सन् 2011 में सोनिया-मनमोहन सिंह सरकार ने अल्पसंख्यकों को लुभावने तथा आकर्षित करने तथा हिंदू-बहुसंख्यक विरोधी एक क़ानून 'साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा विधेयक' का प्रारूप तैयार किया। काँग्रेस के प्रमुख नेताओं ने इसकी आवश्यकता अल्पसंख्यकों के हित में बतलायी। यह एक ऐसे क़ानून की योजना थी जो किसी साम्प्रदायिक हित के लिए हमेशा बहुसंख्यकों या हिंदुओं को दोषी मानकर चलेगा। इसमें किसी भी अज्ञात व्यक्ति की शिक़ायत पर भी कोई हिंदू गिरफ़्तार किया जा सकता था, पर ऐसी कोई शिक़ायत किसी अल्पसंख्यक के विरुद्ध न लागू होगी।[67] विश्व में अल्पसंख्यकों को ख़ुश करने के लिए किसी देश के संविधान में यह क़ानून न मिलेगा। यह तो 'अन्धेर नगरी चौपट राजा' की कहावत चरितार्थ करनेवाला एक हास्यास्पद उदाहरण कहा जा सकता है। सौभाग्य से यह विभेदकारी तथा विघटनकारी बिल क़ानून न बन सका। इससे पूर्व मई, 2014 के लोकसभा चुनाव में काँग्रेस की शर्मनाक हार हो गयी। सम्भवतः मौलिक अधिकार में वर्णित न्यूनता को पुनः ठीक करने के लिए 27 जनवरी, 2015 को शिवसेना के एक सदस्य सदाशिव लोखाण्डे ने एक 'धर्म-स्वातन्त्र्य बिल' रखा जिसमें स्वयं इच्छा के विपरीत ज़बर्दस्ती कन्वर्ज़न के लिए दस वर्ष के कारावास का प्रावधान किया गया है।

विचारणीय विषय है कि गत भारतीय संविधान की अगस्त, 1947 की महान् भूल को, भारतीय संसद ने 1955, 1960, 1979 तथा 2011-13 में दुहराने पर भी देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की अब तक उपेक्षा क्यों की है? निश्चय ही यह ऐतिहासिक सत्य है कि मूलतः इस देश का डी०एन०ए० हिंदू है। संविधान में की गई भूल में सुधार किया जाना चाहिए। सेक्युलरिज़्म, जिसकी जड़ें पहले से ही भारतीय संस्कृति में निहित हैं, अनावश्यक, भ्रमित करनेवाली धारा को उद्देशिका से हटाना सर्वोचित होगा। साथ ही अनुच्छेद 25 में प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को मान्यता तथा सम्मान एवं राष्ट्रहित में जबर्दस्ती या प्रलोभन से किये गए कन्वर्ज़न के लिए कठोर नियम बनाने आवश्यक होंगे। प्यू रिसर्च सेण्टर के निष्कर्षों को राष्ट्रहित में ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि भारत में अल्पसंख्यकों को भारत की मुख्य राष्ट्रीय धारा के साथ जोड़ने के भरपूर प्रयत्न किये जायें।

67. एस० शंकर, 'न्याय का भयंकर मज़ाक', *दैनिक जागरण*, 26 अक्टूबर, 2013